

## PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS AUTHORITY, MINISTRY OF AGRICULTURE& FARMERS WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



S-2,'A' Block, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi-110012 Tel: 011-25848127, 25842846 Fax: 011-25840478 Email : ppvfra-agri@nic.in Website : www.plantauthority.gov.in

## **PUBLIC NOTICE**

"Plant Genome Savior Community Award" 2015-16, "Plant Genome Saviour Farmer Reward" 2016 -17 & "Plant Genome Saviour Farmer Recognition" 2016 -17

In continuation to this office advertisement published in the Times of India on 12<sup>th</sup> August,2017(Saturday) regarding the announcement for inviting applications for Plant Genome Saviour Community Award 2015-16 (Five ₹ 10 Lakh each), Plant Genome Saviour Farmer Reward 2016-17 (Ten ₹ 1.5 lakh each) and Plant Genome Saviour Farmer Recognition 2016-17 (Twenty ₹ 1 lakh each). Accordingly some clarification is being informed to all, The Authority in its 27<sup>th</sup> meeting has decided that a farmer (including farmers and group of farmers) outside the Agro-biodiversity hot-spots identified by PPV & FR Authority but engaged in conservation of Plant Genetic Resources in accordance with Section 39(i)(iii) of PPV&FR Act,2001 will also be considered for Plant Genome Saviour Farmer Reward and Recognition.

All other conditions in the original advertisement remains unchanged.

Dr. Ravi Prakash Registrar, PPV & FRA



## पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस-2, 'ए' ब्लॉक, **एन ए एस सी काम्प्लैक्स, डी पी एस मार्ग,निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली**-110012 दूरभाष : 011- 25848127, 25843853 फैक्स: 011-25840478, ई-मेल : prakethrai@nicin

वेबसाइटः wwdatathrity.cpx.in



## सार्वजनिक सचना

- " पौधा संजीन उद्धारक ' समुदाय पुरस्कार ' 2015-16"
- " पौधा संजीन उद्धारक 'कृषक पुरस्कार 2016-17" और
  - " पौधा संजीन उद्धारक 'कृषक मान्यता 2016-17"

इस प्राधिकरण द्वारा टाइम्स ऑफ़ इंडिया में उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में 12.08.2017 के संस्करण में प्रकाशित ज्ञापन की श्रेणी में सभी कृषक और कृषक समुदायों को सूचित किया जाता है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण की 27वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो कृषक और कृषक समुदाय प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए कृषि जैवविविधिता के विशेष स्थलों की सूची के बाहर हैं, परन्तु प्राधिकरण के अधिनियम, 2001 की धारा 39 (1) (İİİ) के अंतर्गत अनुवांशिक संसाधनों और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के वन्य सम्बन्धियों को उन्नयन और चयन के माध्यम से संरक्षण और परिरक्षण में कार्यरत है वे भी 'कृषक पुरस्कार' एवं 'कृषक मान्यता' के लिए माननीय होंगे |

अन्य सभी स्थितियां मूल विज्ञापन में अपरिवर्तित हैं।

डॉ. रवि प्रकाश पंजीकार (कृषक अधिकार) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण